न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 99/2020

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

शशांक बैनीवाल पुत्र श्री सुरजपाल जाति जाट उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

—— वादी

बनाम

1. सुरजपाल पुत्र श्री सुलतानराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. श्रीगंगानगर
2. महिमा बैनीवाल पुत्री श्री सुरजपाल जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह.श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री विजयकुमार भाटी (वादी)
अधिवक्ता ऋषिपाल जोशी (प्रतिवादी–1, 2)
पैरोकार राज (प्रति.–3)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

दिनांक 06.10.2020

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 सुरजपाल, वादी के पिताजी व प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहन है। चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 सुरजपाल पुत्र सुलतानराम के नाम 4924/13487 हिस्सा यानि 4.924 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के दादाजी सुलतानराम पुत्र धोकलराम के स्वर्गवास होने के बाद विरास्तन नामान्तरण संख्या 254 दिनांक 29/01/2008 के द्वारा विरास्त में प्राप्त हुई है, जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। चक 5 क्यू के खाता संख्या 45/34 के जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के एक पुत्र (सुरजपाल [वादी]) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है:–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
शंशाक बैनीवाल पुत्र सुलतानराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि सुरजपाल पुत्र सुलतानराम के नाम दर्ज 4924/13487 हिस्सा यानि 4.924 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.024 है. कृषि भूमि
सुरजपाल पुत्र श्री सुलतानराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)	चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि सुरजपाल पुत्र सुलतानराम के नाम दर्ज 4924/13487 हिस्सा यानि 4.924 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.900 है. कृषि भूमि

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त बंटवारा में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है । वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड, पैक हाउस आदि की सुविधा ले सकता है। वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 13/08/2020 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 3 से सम्पर्क किया तो उन द्वारा श्रीमान जी न्यायालय में वाद पत्र पेश कर विभाजन घोषित करवाने की हिदायत दी गई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया :–

(क) कि प्रतिवादी सं. 1 सुरजपाल के नाम दर्ज चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि सुरजपाल पुत्र सुलतानराम के नाम दर्ज 4924/13487 हिस्सा यानि 4.924 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.024 है. कृषि भूमि वादी शशांक बैनीवाल पुत्र सुरजपाल की घोषित की जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.09.2020 का ईकबालिया जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उत्तरदाता एवं वादी द्वारा पारस्परिक सहमति से बंटवारा किया हुआ है तथा उक्त बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने में उत्तरदाता सहमत है। अतः वर्णित घरेलू बंटवारा अनुसार 2.024 हैक. कृषि भूमि वादी शशांक बैनीवाल की घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जहमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 हैक. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से उत्तरदाता सूरजपाल पुत्र सुलतानराम के नाम दर्ज 4924/13487 हिस्सा यानि 4.924 हैक. कृषि भूमि जमाबंदी मुताबिक में से 2.024 हैक. कृषि भूमि वादी शशांक बैनीवाल पुत्र सूरजपाल की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 21.09.2020 का ईकबालिया जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उत्तरदाता के पिताजी एवं भाई ने पारस्परिक सहमति से बंटवारा किया हुआ है तथा उक्त बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने में उत्तरदाता सहमत है। अतः वर्णित घरेलू बंटवारा अनुसार 2.024 हैक. कृषि भूमि वादी शशांक बैनीवाल की घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है।अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जहमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 हैक. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से उत्तरदाता सूरजपाल पुत्र सुलतानराम के नाम दर्ज 4924/13487 हिस्सा यानि 4.924 हैक. कृषि भूमि जमाबंदी मुताबिक में से 2.024 हैक. कृषि भूमि वादी शशांक बैनीवाल पुत्र सूरजपाल की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 समस्त

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम संयुक्त खाता में जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 5 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 45/34, वादी द्वारा अपने दादा सुलतान से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन इन्ताकल जमाबंदी 5 क्यू, पटवार हल्का दौलतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 254/53 की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदी व विरास्तन इंतकाल के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के संयुक्त खाता संख्या 45/34 के मुरब्बा नम्बर 3, 8, 18, 20 की कुल 13.487 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 सूरजपाल पुत्र श्री सुलतानराम के नाम दर्ज 4594/13487 हिस्सा यानि 4.924 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में 2.024 हैक्टर कृषि भूमि का वादी शशांक बैनीवाल पुत्र सूरजपाल को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 06.10.2020 को जारी किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।